न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2019 **दायर तारीख :–** 22-03-2018

1. जीवणराम पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **—— अपीलार्थी**

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत तेवडी पंचायत समिति/तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. गोरधन दत्तक पुत्र हनुमान मीणा
3. चौथू पुत्र चन्दर
4. प्रभू पुत्र चन्दर

   समस्त जाति मीणा निवासी तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे बैंक विराटनगर शाखा विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **——रेस्पोडेन्ट**

8. भैरू पुत्र छोटू
9. रामकरण पुत्र छोटू

   समस्त जाति मीणा निवासी तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 684 स्वीकार

दिनांक 05.12.2014 स्वीकार सरपंच ग्राम पंचायत तेवड़ी

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं॰ 2 लगा. 4
श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7
एकपक्षीय कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 8
पैरोकार सरकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9

निर्णय

निर्णय दिनांक : 15.01.2020

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तेवडी के खाता संख्या 349 में दर्ज खसरा नंबर 298/0.25, 387/0.06, 388/0.21, 388/1986/0.05, 389/0.05, 657/0.14, 991/0.17, 993/0.70, 944/0.62, 995/0.51, 996/0.72 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर

भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 है। आराजी मुतनाजा में से खसरा नंबर 995/0.51 हैक्टेयर भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2003 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 94 पृष्ठ संख्या 166 ए क्रम संख्या 864 तथा आराजी खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर को दिनांक 26.12.2003 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 94 पृष्ठ संख्या 167 क्रम संख्या 865 पर दर्ज करवाकर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने खरीद कर लिया था तथा खरीद के पश्चात से ही क्रेतागण ने अपना कब्जा प्राप्त कर निरंतर काश्त करते आ रहे है, जो आज तक बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त में कायम है। यह है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 आपस में सगे भाई है, तीनों ने ही मिलकर दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के जरिये उक्त वर्णित भूमि को खरीद किया था, किन्तु तीनों भाई ही अपनपढ़ व्यक्ति थे। तथा राजकाज के कामों की जानकारी नहीं रखते थे, अपनी खरीद शुदा भूमि की रजिस्ट्री की एक फोटो प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को बतौर खाता खुलवाने के लिए दी थी, इसके बाद निश्चिंत हो गए और कभी अपनी भूमि का रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण नहीं किया और तत्कालीन पटवारी हल्का ने सुविधा शुल्क के अभाव में खरीद की गई का नामा0 ही नहीं भरा, जिस कारण उक्त भूमि आज तक राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व खातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम ही चली आ रही है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता हनुमान के फौत हो जाने के पश्चात इसको वारिस दत्तक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोरधन अपने पिता के नाम का फायदा उठाकर बालाबाला ही हिस्सा 1/3 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तेवडी ने नामान्तरण संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार फरमा दिया गया , जो गैर कानूनी कृत्य है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बाद विरासत नामान्तरण अपने हिस्से 1/3 पर गैर कानूनी ढंग से एस.बी.बी जे बैंक शाखा विराटनगर से लोन भी उठा लिया है, जिसकी भी जानकारी अपीलान्ट को अर्सा एक हफ्ते पूर्व ही हुई थी, जब अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा धमकी दी की आपके कब्जे में जो भूमि है वह मेरी है मेरे नाम से रिकॉर्ड दर्ज है। आप लोग इसे खाली कर दो। जब रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला की प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्सा 1/3 का विरासत का नामान्तकरण भी खुलवा लिया तथा बाद नामान्तरण बैंक लोन भी उठा चुका है। यह है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा खसरा नंबर 995/0.51 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि को जरिये विक्रय पत्र खरीद कर लिया था। राजस्व विभाग द्वारा उक्त खरीद का नामा0 नहीं खोला गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी पिता की विरासत 1/3 भाग का नामान्तरण चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अतः निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत तेवडी को अपास्त फरमा कर खरीद शुदा भूमि वाके ग्राम तेवडी खसरा नंबर 995/0.51 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर का

मुताबिक विक्रय पत्र तस्दीक उपपंजीयक विराटनगर दिनांक 26.12.2002 का नवीन नामाकंन क्रेतागण अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब अपील प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 8 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल हाल जमाबंदी खाता संख्या 349 ग्रम तेवडी संवत् 2071–2074, नकल नामान्तरण संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 ग्रम तेवड़ी, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 995 व 996 ग्राम तेवडी, विक्रय पत्र फोटो प्रति खसरा नंबर 995/0.51 दिनांक 24.12.2003, विक्रय पत्र फोटो प्रति खसरा नंबर 996/0.72 दिनांक 24.12.2003 एफ.आई.आर की फोटो प्रति थाना विराटनगर आदि पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 684/2019 जवाब अपील में कथन रहे कि वाद ग्रस्त हाल खसरा नंबर 298/0.25, 387/0.06, 388/0.21, 393/1986/0.05, 389/0.05, 657/0.14, 991/0.17, 993/0.70, 944/0.62, 995/0.51, 996/0.72 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तेवडी राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना सही है। खसरा नंबर 393/1986/0.05 हैक्टेयर की जगह खसरा नंबर 888/1986 गलत लिखा हुआ है, जो काबिले दुरूस्ती है। आराजी हाल खसरा नंबर 995/0.21 एवं हाल खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर भूमि का बेचान हनुमान, प्रभू, चौथू द्वारा किये जाने से इन्कार नहीं है। अपील प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने स्वयं के अपनपढ़ व्यक्ति होने से राजकाज की जानकारी नहीं हाने एवं साथ ही में तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल देने पर भी सुविधा शुल्क नही ंदेने से तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा खाता नहीं खोले जाने का कथन किया है जो गलत है। किस पटवारी को नकल दी थी एवं किस ने सुविधा शुल्क मांगा था स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। एक तरफ तो राजकाज नहीं जानने की बात करते है दूसरी तरफ खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री भी करवाई है रजिस्ट्री की नकल भी तत्कालीन पटवारी को दी है एवं उसके बाद निश्चिंत भी हो गए। यह भी है कि अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट स्वयं को अपनढ़ होना बताकर एवं रजिस्ट्री से खरीदशुदा भूमि का 2003 से 2014 तक खाता खुलवाने के लिए लापरवाह रहे तो उसके लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता हनुमान के फौत होने पर विरासत का खाता खुलने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कुर्सीनामा की प्रति पटवारी हल्का को देकर अपनी जमीन का खाता खुलवाता

है। तथा राजस्व कर्मचारियों एंव ग्रम पंचायत ने विरासत का खाता खोलने में किसी प्रकार की गलती नहीं की है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में खोला गया खाता किसी कदर भी गैरकानूनी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में खाता खोलने के दिन जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता की खातेदारी में दर्ज थी उसी का खाता खोला गया है। तथा यह भी है कि ग्राम पंचायत ने विरासत का खाता खोलते समय मृतक के वारिसों की जांच करने के बाद ही खाता खोलने/नामान्तरण तस्दीक करने की कार्यवाही की है। विरासत का खाता खोलने में किसी प्रकार की गलती नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा विरासत का खाता खुलवाने एवं खाता खुलने के बाद अपने नाम दर्ज खातेदारी भमि पर बैंक एस.बी.बी.जे शाखा विराटनगर से लोन लेने तक कथन सही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको यह जानकारी रही हो कि उसके दत्तक पिता के बेचान की गई भूमि का खाता आज तक अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम नहीं खुला है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एक ग्रमीण परिवेश का सीधा व्यक्ति है, जो साधारण से रूप से अपनी जमीन पर लोन लिया है। अपीलार्थी को न तो किसी प्रकार की धमकी दी है न ही किसी प्रकार की बातचीत ही की है। लोन लेने की कार्यवाही भी अपनी भूमि पर लोन लेने की सदभावना पूर्ण की गई कार्यवाही है। यह भी है कि अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 26.12.2003 में खरीदी गई भूमि का नामा0 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में विरासत के खोले गये नामा0 संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 तक नहीं खुलवाया तो उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की कौनसी धमकी रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने साधारण रूप में अपने दत्तक पिता की विरासत का खाता खुलवाया है। विरासत का खाता खोलने/नामा0 तस्दीक करने में किसी प्रकार की चूक या गलती नहीं हुई है। तथा विशेष कथन रहे कि अपील अपीलार्थी संबंधित कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अपने दत्तक पिता के फौत होने पर विरासत का खाता खोला गया है वहां तक किसी भी प्रकार से नामा0 की कार्यवाही को गलत व गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता है, जिससे भी अपील अपीलार्थी सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अपील में वर्णित रजिस्ट्री दिनांक 26.12.2003 से लेकर प्रतिवादी संख्या 2 के हक में विरासत का खोता खोलने की दिनांक 05.12.2014 तक अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट की तरफ से विक्रय पत्र के आधार पर खाता खुलवाने/नामान्तरण खुलवाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही दिनांक 05.12.2014 को अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट की तरफ से की गई नामान्तरण की कार्यवाही पैन्डिंग ही थी, ऐसे में ग्रम पंचायत ने नामान्तरण खोलने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की है। यह है कि रजिस्ट्री दिनांक 26.12.2003 से लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में विरासत का खाता खोले जाने की दिनांक 05.12.2014 तक अपीलार्थी की तरफ से नामान्तरण खुलवाने की कोई कार्यवाही पैडिंग नहीं रही है। विरासत के खाता के खिलाफ अपील पेश करने की प्रक्रिया

के माध्यम से अपीलार्थी एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट रजिस्ट्री का खाता खुलवाने के अधिकार नहीं है, बल्कि अपने द्वारा की गई विलंब के लिए स्वयं दोषी है। नामान्तरण की कार्यवाही एक फिसीकल प्रोसिडिंग है। अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को अपनी खरीदशुदा भूमि का खाता खुलवाने के लिए नियमित राजस्व वाद लाना चाहिए था, जिससे भी अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के द्वारा अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 684 स्वीकार दिनांक 05.12.2014 स्वीकार सरपंच ग्राम पंचायत तेवड़ी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 एवं 7 के द्वारा जबाब अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम तेवडी के खाता संख्या 349 में दर्ज खसरा नंबर 298/0.25, 387/0.06, 388/0.21, 388/1986/0.05, 389/0.05, 657/0.14, 991/0.17, 993/0.70, 944/0.62, 995/0.51, 996/0.72 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 है। आराजी मुतनाजा में से खसरा नंबर 995/0.51 हैक्टेयर भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2003 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 94 पृष्ठ संख्या 166 ए क्रम संख्या 864 तथा आराजी खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर को दिनांक 26.12.2003 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 94 पृष्ठ संख्या 167 क्रम संख्या 865 पर दर्ज करवाकर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने खरीद कर लिया था तथा खरीद के पश्चात से ही क्रेतागण ने अपना कब्जा प्राप्त कर निरंतर काश्त करते आ रहे है, जो आज तक बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त में कायम है। यह है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 आपस में सगे भाई है, तीनों ने ही मिलकर दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के जरिये उक्त वर्णित भूमि को खरीद किया था, किन्तु तीनों भाई ही अपनपढ़ व्यक्ति थे। तथा राजकाज के कामों की जानकारी नहीं रखते थे, अपनी खरीद शुदा भूमि की रजिस्ट्री की एक फोटो प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को बतौर खाता खुलवाने के लिए दी थी, इसके बाद निश्चिंत हो गए और कभी अपनी भूमि का रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण नहीं किया और तत्कालीन पटवारी हल्का ने सुविधा शुल्क के अभाव में खरीद की गई का नामा0 ही नहीं भरा, जिस कारण उक्त भूमि आज तक राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व खातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम ही चली आ रही है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता हनुमान के फौत हो जाने के पश्चात इसको वारिस दत्तक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोरधन अपने पिता के नाम का फायदा उठाकर बालाबाला ही हिस्सा 1/3 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तेवडी ने नामान्तरण संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार फरमा दिया गया , जो गैर कानूनी कृत्य है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बाद विरासत नामान्तरण अपने हिस्से 1/3

पर गैर कानूनी ढंग से एस.बी.बी जे बैंक शाखा विराटनगर से लोन भी उठा लिया है, जिसकी भी जानकारी अपीलान्ट को अर्सा एक हफ्ते पूर्व ही हुई थी, जब अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा धमकी दी की आपके कब्जे में जो भूमि है वह मेरी है मेरे नाम से रिकॉर्ड दर्ज है। आप लोग इसे खाली कर दो। जब रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला की प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्सा 1/3 का विरासत का नामान्तकरण भी खुलवा लिया तथा बाद नामान्तरण बैंक लोन भी उठा चुका है। यह है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा खसरा नंबरी 995/0.51 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि को जरिये विक्रय पत्र खरीद कर लिया था। राजस्व विभाग द्वारा उक्त खरीद का नामा0 नहीं खोला गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी पिता की विरासत 1/3 भाग का नामान्तरण चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अधिवक्ता अपीलार्थी की तरफ से राज0 भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 नियम 141 पेज नंबर 346, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) जारी परिपत्र क्रमांक–प.9(73) राज–6/16 दिनांक 14.07.2016 एवं नकल दावा मुकदमा नंबर 103/2019 उनवान जीवण बनाम गोरधन वगै एवं नकल प्रार्थना पत्र 117/2019 उनवान जीवण बनाम गोरधन वगै0 पेश किए, एवं Devi singh & Ans v/s Parma RLW 2005 (2) RJ 596= 2005(2) RRT 1366, Mannat v/s Rahim khan RLW 2005(1) RJ 433= 2005 ARD 774=2005(1) RRT 228, Maniram v/s State of Rajashtna RLW 2003 RJ 80= 2003 RRD 44 = 2003 RBJ 46= 2003(1) RRT (408), Gopal lal & Ors. v/s Yuraj singh solanki & Ors, 2017(2)RRT 1104 Board of RW for Rajasthan आदि नेक दृष्टांत पेश किए है। एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की तरफ से RBJ 2018 713 नेक दृष्टांत पेश किए है। पत्रावली में अपीलार्थी की तरफ से पेश दस्तावेज हाल नकल जमाबंदी खाता संख्या 349 के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2003 के अनुसार हनुमान पुत्र चौथू मीणा ने खसरा नंबर 995 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि का बेचान तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को करना सिद्व होता है। एवं विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2003 के अनुसार खसरा नंबर 996 रकबा 0.72 हैक्टेयर का बेचान अपीलार्थी एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट को करना साबित होता है। उपरोक्त दोनों विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2003 से यह साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपनी भूमि खसरा नंबर 995/0.51 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 996/0.72 हैक्टेयर भूमि का बेचान अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अपने जवाब अपील प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि विवादित खसरा नंबरान का बेचान अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को किया गया था, परन्तु उनके द्वारा समय पर खाता न खुलवाने की गलती अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट की रही

है, जिससे रेस्पोडेन्ट को इस गलती का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट ने तो अपने पूर्वज के नाम दर्ज खातेदारी का अपने नाम विरासत का खाता खुलवाया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित नामान्तरण शुदा खसरा नंबर 995/0.51 एवं 996/0.72 हैक्टेयर भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को किया गया था, परन्तु अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम समय पर खाता नहीं खुलवाया गया है। दोनों विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2003 के आधार पर विवादित खसरा नंबर 995/0.51 एवं 996/0.72 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट का हक एवं अधिकार साबित होता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

8. अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत तेवड़ी के नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 684 दिनांक 05.12.2014 के खसरा नंबर 995/0.51, 996/0.72 हैक्टेयर की हद तक नामान्तकरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड खसरा नंबर 995/0.51, 996/0.72 हैक्टेयर भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का नाम हजफ कर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2020.02.17 11:37:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: